लोक-सभा
वाद-विवाद

तृतीय माला

खण्ड १, १९६२/१८८४ (शक)

[१६ से २७ अप्रैल, १९६२/२६ चैत्र से ७ वैशाख, १८८४ (शक)]

Chamber ... 18/X/23

3rd Lok Sabha

Preservation 14-5-92
Fumigated On 3.12.83
Parliament Library

पहला सत्र, १९६२/१८८४ (शक)

(खण्ड १ में अंक १ से १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

विषय सूची

तृतीय माला, खण्ड १--अंक १ से १०--१६ से २७ अप्रैल, १९६२/ २६ चैत्र से ७ वैशाख, १८८४ (शक)

अंक १--सोमवार, १६ अप्रैल, १९६२/२६ चैत्र, १८८४ (शक)

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण	१--१६
सदस्य द्वारा त्यागपत्र	१६
दैनिक संक्षेपिका	१७

अंक २--मंगलवार, १७ अप्रैल, १९६२/२७ चैत्र, १८८४ (शक)

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण	१९-२०
अध्यक्ष का निर्वाचन	२०
अध्यक्ष का अभिनन्दन	२०--२९
दैनिक संक्षेपिका	३०

अंक ३--बुधवार, १८ अप्रैल, १९६२/२८ चैत्र, १८८४ (शक)

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण	३१
स्थगन प्रस्तावों के बारे में	३१
राष्ट्रपति का अभिभाषण सभा पटल पर रखा गया	३१--३५
सभा पटल पर रखे गये पत्र	३५
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	३५-३६
दैनिक संक्षेपिका .	३७-३८

अंक ४--गुरुवार, १९ अप्रैल, १९६२ / २९ चैत्र, १८८४ (शक)

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण	३९
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ११२, २१, २२, ३ से ११ और १३	४०--६२
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १	६२-६३
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १२, १४ से २० और २३ से ४२	६४--७६
अतारांकित प्रश्न संख्या १ से ६ और ८ से १९	७६--८४
स्थगन प्रस्तावों के बारे में	८४-८५
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--	
अन्दमान द्वीप समूह में पुलिस द्वारा गोली चलाया जाना	८५--८७

	पृष्ठ
प्रक्रिया के बारे में	८७
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	८७–८८
सभापति-त्रालिका	८८
रेलवे आयव्ययक, १९६२–६३——उपस्थापित	८८——९५
राष्ट्रमंडल प्रधान मंत्री सम्मेलन के बारे में वक्तव्य	९५
दैनिक संक्षेपिका	९६——९९
अंक ५——शनिवार, २१ अप्रैल, १९६२/१ वैशाख, १८८४ (शक)	
सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण	१०१
प्रश्नों के मौखिक उत्तर——	
तारांकित प्रश्न संख्या ४३ से ४८, ५०, ५१, ५५, ५२ से ५४ और ५६ से ५९	१०१——२३
प्रश्नों के लिखित उत्तर——	
तारांकित प्रश्न संख्या ४९ और ६० से ७९	१२३–३२
अतारांकित प्रश्न संख्या २० से ६६	१३२——५०
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१५१
प्राक्कलन समिति——	
एक सौ उनहत्तरवां प्रतिवेदन एक सौ सतरवां प्रतिवेदन एक सौ इकहत्तरवां प्रतिवेदन एक सौ बहत्तरवां प्रतिवेदन	१५१–५२
सभा का कार्य	१५२
रेलवे आय-व्ययक—सामान्य चर्चा	१५२——६४
मृत्यु दंड को समाप्त करने के बारे में संकल्प वापस ले लिया गया	१६५——८१
जनता एक्सप्रेस गाड़ियों के बारे में संकल्प	१८२——८३
दैनिक संक्षेपिका	१८४——८८
अंक ६——सोमवार, २३ अप्रैल, १९६२/३ वैशाख, १८८४ (शक)	
सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण	१८९
प्रश्नों के मौखिक उत्तर——	
तारांकित प्रश्न संख्या ८०, ८१ और ८३ से ९४	१८९——२११
प्रश्नों के लिखित उत्तर——	
तारांकित प्रश्न संख्या ८२, ९५ से १२२ और १२४ से १३१	२१२——२९
अतारांकित प्रश्न संख्या ६७ से १२६	२२९——५६
स्थगन प्रस्तावों के बारे में	२५६–५७

	पृष्ठ
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाने की सूचनाओं के बारे में	२५७
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२५८–५९
उपाध्यक्ष का निर्वाचन	२५९—६२
उपाध्यक्ष का अभिनन्दन	२६३—६५
रेलवे आय व्ययक—सामान्य चर्चा	२६५—२८८
सामान्य आयव्ययक, १९६२–६३—उपस्थापित	२८८—३०६
वित्त (संख्या २) विधेयक, १९६२—पुरःस्थापित	३०६
दैनिक संक्षेपिका	३०७—१३
अंक ७—मंगलवार, २४ अप्रैल, १९६२/४ वैशाख, १८८४ (शक)	
सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण	३१५
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १३२ से १४७	३१५—४२
अल्प सूचना प्रश्न संख्या २	३४२—४४
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १४८ से १६१	३४५—५१
अतारांकित प्रश्न संख्या १२७ से १४०	३५१—५७
संयुक्त राज्य अमेरिका के परमाणु परीक्षणों को पुनः आरम्भ करने के प्रस्तावित निश्चय के बारे में; तथा नागा विद्रोहियों द्वारा पकड़े गये भारतीय वायु सेना के अधिकारियों के बारे में वक्तव्य	३५७—५९
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
मालदा जिले के सीमांत क्षेत्रों में उपद्रव	३६०
सभा की कार्यवाही का तत्काल अनुवाद करने के बारे में	३६०–६१
सभा पटल पर रखे गये पत्र	३६१
राज्य सभा से सन्देश	३६१
भेषज (संशोधन) विधेयक—	
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया	३६२
सभा में स्थानों के नियतन के बारे में	३६२
धनबाद के निकट हुई रेलवे दुर्घटना के बारे में वक्तव्य	३६२–६३
रेलवे आयव्ययक—सामान्य चर्चा	३६३—८५
दैनिक संक्षेपिका	३८६—८८

पृष्ठ

अंक ८—बुधवार, २५ अप्रैल, १९६२/५ वैशाख, १८८४ (शक)

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण ३८९

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १६३ से १७१, १७३, १७६ और १७७. ३८९--४१०

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १६२, १७२, १७४, १७५ और १७८ से १९५ ४१०–२१

अतारांकित प्रश्न संख्या १४१ से १६४, १६६ से १६८ और १७० से १८२ ४२१--३६

सभा पटल पर रखे गये पत्र ४३६

समितियों में निर्वाचन--

१. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ४३७

२. भारतीय केन्द्रीय गन्ना समिति ४३७

३. राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड ४३७–३८

४. अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था ४३८

सभा की कार्यवाही का तत्काल अनुवाद के बारे में ४३८–४०

रेलवे आयव्ययक--सामान्य चर्चा ४४०–८६

दैनिक संक्षेपिका ३८७—९०

अंक ९--गुरुवार, २६ अप्रैल, १९६२/६ वैशाख, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९६ से १९८, २०० से २०६ और २०८ से २१० ४९१--५१४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९९, २०७ और २११ से २३२ ५१४--२५

अतारांकित प्रश्न संख्या १८४ से १८७ और १८९ से २२२ ५२५--४१

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

नामरूप उर्वरक परियोजना के लिये भूमि का अर्जन ५४१–४२

सभा पटल पर रखे गये पत्र ५४२--४५

समितियों के लिये निर्वाचन--

प्रौद्योगिकीय संस्था अधिनियम के अधीन परिषद् ४४५

भारतीय खान स्कूल की प्रशासकीय परिषद् ५४५–४६

रेलवे आयव्ययक—सामान्य चर्चा ५४६--६७

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव ५६७--८४

दैनिक संक्षेपिका ५८५--९०

पृष्ठ

अंक १०—शुक्रवार, २७ अप्रैल, १९६२ / ७ वैशाख, १८८४ (शक)

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण ५९१

प्रश्नों के मौखिक उतर—

तारांकित प्रश्न संख्या २३३ से २३९, २४१ और २४३ से २५३ ५९१—६१८

प्रश्नों के लिखित उतर—

तारांकित प्रश्न संख्या २४०, २४२ और २५४ से २६८ ६१८—२५

अतारांकित प्रश्न संख्या २२३ से २४९ ६२६—३९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

बिहार में सीमेंट की कमी ६३९–४०

सभा पटल पर रखे गये पत्र ६४०–४१

सभा का कार्य ६४१–४२

समितियों के लिये निर्वाचन—

(१) रबड़ बोर्ड ; और ६४२

(२) केन्द्रीय रेशम बोर्ड ६४२–४३

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव ६४३–५१, ६५६–६३

विधेयक पुर:स्थापित—

(१) दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, (धारा ३४२ और ५६२ का संशोधन **[श्री म० ला० द्विवेदी का]** ६५१–५२

(२) कारखाना (संशोधन) विधेयक, (नई धारा ९क का रखा जाना) **[श्री स० चं० सामन्त का]** ६५२

(३) विधान परिषद् (रचना) विधेयक, **[श्री श्रीनारायण दास का]**. ६५२

(४) असैनिक उड्डयन (लाइसेंस देना) विधेयक, **[श्री जं० ब्र० सिंह विष्ट का]** ६५३

(५) भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक (धारा ६८ और ६९ का संशोधन) **[श्री स० चं० सामन्त का]** ६५४

(६) सरकारी नौकरी (निवास की आवश्यकता) संशोधन विधेयक, (धारा ५ का संशोधन) **[श्री जं० ब्र० सिंह विष्ट का]** ६५४

(७) व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, (धारा ८७ख का लोप) **[श्री म० ला० द्विवेदी का]** ६५५

(८) जमा करने और अनुचित लाभ उठाने को रोकना विधेयक, **[श्री म० ला० द्विवेदी का]** ६५५

पृष्ठ

(९) नारियल जटा उद्योग (संशोधन) विधेयक, (धारा १०, २०, २१ और २६ का संशोधन) **[श्री स० च० सामन्त का]** ६५५

(१०) चल-चित्र उद्योग कामकर (काम की दशा में सुधार) विधेयक **[श्री जं० ब्र० सिंह विष्ट का]** ६५६

(११) हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक, (नई धारा २३क का रखा जाना) **[श्री ज० ब्र० सिंह विष्ट का]** ६५६

दैनिक संक्षेपिका ६६४—६८

नोट—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

लोक-सभा

बुधवार, १८ अप्रैल, १९६२

२८ चैत्र, १८८४ (शक)

लोक-सभा १०.२५ म० पू० समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य जिन्होंने शपथ नहीं ली या प्रतिज्ञान नहीं किया अब ऐसा कर सकते हैं ।

श्री देवराव शिवराम पाटिल (यवतमाल)

श्री डी० एरिंग (उत्तर पूर्वी सीमान्त क्षेत्र)

श्री चुबातोषी जमीर (नागा पहाड़िया ट्यूनसांग क्षेत्र)

श्री बीरेन्द्रचन्द्र दत्त (त्रिपुरा पश्चिम)

स्थगन प्रस्तावों के बारे में

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे बहुत से स्थगन प्रस्तावों की सूचना मिली है । मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं और उसमें सदन की अनुमति भी चाहता हूं । मैं चाहता हूं कि एक प्रथा शुरू की जाये कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के दिन कोई स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत न किया जाये । क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण होता है और उस दिन हम केवल औपचारिक कार्य ही करते हैं । आज के स्थगन प्रस्ताव कल लिये जा सकते हैं ।

माननीय सदस्य : जी हां ।

राष्ट्रपति का अभिभाषण

†**सचिव** : मैं १८ अप्रैल, १९६२ को एक साथ समवेत संसद् की दोनों सभाओं के समक्ष दिये गये राष्ट्रपति के अभिभाषण की एक प्रति पटल पर रखता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[राष्ट्रपति का अभिभाषण]

संसद के सदस्यगण,

१. अपने गणराज्य के तीसरे संसद-अधिवेशन के उद्घाटन के अवसर पर, संसद के सदस्यों के रूप में आपका स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप में से बहुत से ऐसे हैं जो गत वर्षों में भी संसद के सदस्य रहे हैं और जिन्हें एक बार फिर उनके निर्वाचकों ने चुन कर उनमें अपना विश्वास प्रकट किया है। आप में ऐसे लोग भी शामिल हैं जो सार्वजनिक कार्य के लिए या शायद विधान सभाओं के लिए भी, नये नहीं, किन्तु जिन्हें संसद के लिए पहली बार चुना गया है।

२. मैं आप सबको बधाई देता हूं और अपनी मातृभूमि की सेवार्थ सामूहिक प्रयत्नों के लिए आपका स्वागत करता हूं। संसद की सदस्यता की अवधि में आप में से प्रत्येक को, संसद के अन्दर अथवा अपने अपने चुनाव क्षेत्रों में अपने देश की सेवा के रचनात्मक कार्य के लिए अनिवार्य रूप से लगातार अनेक और व्यापक अवसर मिलेंगे। राष्ट्र-निर्माण के कार्य की दिन प्रति दिन की और अन्तिम जिम्मेदारी संसद की है। इस कार्य के लिए आपकी पूर्ण विचारशक्ति, विश्लेषण, रचनात्मक आलोचना, सावधानी और समर्पण की क्षमता अपेक्षित है।

३. करीब एक महीना हुआ मैंने दूसरी संसद के अन्तिम सत्र के सम्मुख अभिभाषण दिया और उनसे विदा ली थी। राष्ट्रीय जीवन में हमारे प्रयत्नों के फलस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में जो उन्नति हो रही है, उसका मैंने उस समय संक्षेप में ब्यौरा दिया था। तब से आज दिन तक, जब मुझे आपका स्वागत करने का श्रेय मिल रहा है, इस अल्प अवधि में भी कई दिशाओं में हमारा देश आगे बढ़ा है।

४. हमारे भौतिक विकास और वेगवान सामाजिक तथा आर्थिक संतुलन को बनाये रखने का आधार हमारी योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था है। तीसरी पंचवर्षीय योजना अपने दूसरे साल में है और इसका आरम्भ अच्छा हुआ है। इस व्यापक प्रयास का अभिप्राय है हमारी राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था का निर्माण, उत्पादन और रोजगार में वृद्धि करना और अपने संविधान के आदेशानुसार सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय के आधार पर समाज का गठन करना। यह आवश्यक है कि इस योजना के कार्यरूप में परिणत होते हुए हमें उत्पादन के काम में अपने लोगों का बराबर बढ़ती हुई संख्या में सहयोग प्राप्त होता रहे और इस सहयोग का रूप दक्षता और जनता द्वारा हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य को हृदयंगम करना हो।

५. देहाती क्षेत्रों में जनशक्ति का उपयोग करने के लिए कुछ समय हुआ प्रयोगात्मक योजनाय चालू की गई थीं। देहात विकास का यह कार्य बढ़ाया जा रहा है और अब इसके अन्तर्गत २०० विकास केन्द्र आते हैं। ग्राम और घरेलू उद्योगों के विकास के लिए भी चुने हुए देहाती क्षेत्रों में, प्रयोगात्मक योजनायें चलाई जा रही हैं। इनका अन्तिम ध्येय देहाती लोगों की अर्थव्यवस्था को संतुलित और विविध बनाना है।

६. मेरी सरकार ने जनशक्ति के उपयोग के लिये दिल्ली में 'अप्लाईड मैन पावर रिसर्च' नामक संस्था स्थापित करने की दिशा में कदम उठाये हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा के अनुसार बेरोजगारी दूर करने और बेरोजगारों की सहायता करने के लिए एक योजना तैयार की गई है। मजदूर अनुसंधान के लिये बम्बई में एक केन्द्रीय संस्था खोली जा रही है। आशा है कि तीसरी योजना में दिये गये मजदूर शिक्षण-सम्बन्धी कार्यक्रम से इस श्रेणी के अधिकांश लोग लाभ उठा सकेंगे। इस योजना का ध्येय हमारे राष्ट्रीय लक्ष्यों तथा आधारभूत सिद्धान्तों के समझने को प्रोत्साहन देना

और मज़दूरों में ज्ञान तथा हुनर का प्रसार करना है जिससे कि वे लोग अधिक अच्छी तरह अपना संगठन कर सकें ।

७. कृषि-उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है और खाद्य की स्थिति आम तौर से बिल्कुल संतोषजनक है । कुछ क्षेत्रों में बिजली की कमी के बावजूद औद्योगिक उत्पादन में बराबर वृद्धि हो रही है ।

८. अणुशक्ति के क्षेत्र में, खेती, जीव विज्ञान, उद्योग और चिकित्सा में काम आने वाले रेडियो आइसोटोप का उत्पादन भी आगे बढ़ा है । ट्राम्बे में तैयार किये गये रेडियोकोबाल्ट अब देश भर के अस्पतालों में उपलब्ध हैं । अणुशक्ति के शान्तिपूर्ण उपयोग में सहयोग तथा विकास के लिये गत वर्ष हंगरी, स्वीडन और सोवियत संघ के साथ हमारी संधियां हुई हैं ।

९. पंचायती राज ने हमारे लोगों को अपनी ओर बहुत आकर्षित किया है, क्योंकि वह हमारी परम्परा और विचारधारा के अनुरूप है । पंचायती राज चार और राज्यों में लागू होने जा रहा है । इस प्रकार कुल मिला कर वह बारह राज्यों में लागू हो जायेगा ।

१०. बरौनी में सार्वजनिक खण्ड में आने वाले दूसरे तेलशोधक कारखाने पर काम जारी है । इस कारखाने में प्रति वर्ष २० लाख टन तेल साफ किया जायेगा । दस लाख टन की क्षमता वाला पहला कारखाना आगामी १२ महीनों में काम करने लगेगा ।

११. नूनमाटी से सिलीगुड़ी तक और कलकत्ते से बरौनी होकर दिल्ली तक तेल की ढुलाई के लिये पाइप लाइनें बिछाने की योजना है । देश के पश्चिमी भाग में तेल क्षेत्रों को प्रस्ताविक तेल-शोधक कारखाने के साथ और इस कारखाने को अहमदाबाद के साथ पाइप लाइन से जोड़ा जायेगा । पूर्व में पेट्रोलियम के उत्पादन से परिवहन और पश्चिम में कच्चे तेल, गैस और तैयार माल की ढुलाई के लिये तेल क्षेत्रों से विभिन्न शक्ति-क्षेत्रों तक पाइप लाइनें ले जायी जायेंगी । पाइप लाइनें बिछाने का यह कार्य तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में पूर्ण हो जायेगा । इससे हमारी रेल व्यवस्था पर सामान की ढुलाई का बोझ काफी हल्का हो जायेगा ।

१२. भारत को अठारह-राष्ट्र निःशस्त्रीकरण समिति और संयुक्त राष्ट्र की प्रस्ताव कार्यान्वय समिति का एक सदस्य चुना गया ह । जिनेवा में होने वाली निःशस्त्रीकरण सम्बन्धी बातचीत में अभी विशेष प्रगति नहीं हो पायी है । निःशस्त्रीकरण के ध्येय की प्राप्ति के अभाव में सम्मेलन की कोशिशें ऐसी समस्याओं को सुलझाने के लिये जारी हैं, जैसे अणुबम के प्रयोगात्मक विस्फोटों की रोकथाम, अचानक आक्रमणों पर प्रतिबन्ध लगा कर राष्ट्रों के बीच विश्वास की भावना पैदा करना, अणुप्रभाव से मुक्त क्षेत्रों के सम्बन्ध में समझौता और शस्त्रीकरण की दौड़ की रोकथाम करना । निःशस्त्रीकरण और सन्धि का सर्वमान्य प्रारूप तैयार करने में भी सम्मेलन व्यस्त है । इस सन्धि की प्रस्तावना इस समय विचाराधीन है । इस सम्मेलन के प्रयत्न सफल हों और बातचीत सवेग आगे बढ़ती रहे, इसके लिये मेरी सरकार सर्वोत्तम और सम्पूर्ण प्रयत्न करेगी । हमारा प्रतिनिधि मडल , अन्य राष्ट्रों के साथ, अणुविस्फोटों की रोकथाम के लिये प्रस्तावों को प्रस्तुत करने और उनका समर्थन करने में विशेष रूप से और इस कार्य को अत्यन्त आवश्यक मान कर पूरी सहायता देगा ।

१३. १९६२-६३ के लिये अन्तरिम बजट विगत संसद के सामने रखा गया था और वर्ष के एक भाग के लिये आयव्यय पर मतदान द्वारा खर्च करने की अनुमति ले ली गई थी । नई संसद के सामने भी इसी सत्र में आवश्यक संशोधनों के साथ बजट पेश किया जायेगा और समस्त वर्ष के लिये संसद से धनराशि स्वीकृत करने की प्रार्थना की जायेगी ।

१४. मेरी सरकार निम्नलिखित विधेयक पेश करना चाहती है :

१. विधि आयोग की कुछ सिफारिशों को कार्य रूप देने के लिये कुछ विधेयक,
२. दि कोंस्टीट्यूशन (अमेन्डमेंट) बिल्स
३. दि एटौमिक एनर्जी बिल
४. दि इलैक्ट्रीसिटी (सप्लाई) अमेंडमेंट बिल्स
५. दि पेटेंट्स बिल
६. दि इंडियन टैरिफ (अमेंडमेंट) बिल
७. दि इंडस्ट्रीज़ (डिवैल्पमेंट एंड रेगूलेशन) अमेंडमेंट बिल
८. दि पोर्ट ट्रस्ट्स बिल
९. दि औयल एंड नेचुरल गैस कमीशन (अमेंडमेंट) बिल
१०. दि मिनिमम वेजेस (अमेंडमेंट) बिल
११. दि फैक्ट्रीज़ (अमेंडमेंट) बिल
१२. दि पेमेंट आफ वेजेस (अमेंडमेंट) बिल
१३. दि वर्कमैन्स कम्पन्सेशन (अमेंडमेंट) बिल
१४. दि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स (अमेंडमेंट) बिल
१५. दि वर्किंग जर्नलिस्ट्स (अमेंडमेट) बिल
१६. दि एम्पलौईस प्रौविडेन्ट फंड (अमेंडमेंट) बिल
१७. दि एम्प्लौईस स्टेट इन्शोरेंस (अमेंडमेंट) बिल
१८. दि वैल्थ टैक्स (अमेंडमेंट) बिल
१९. दि फाइनांस बिल (नं० २)

१५. संसद के सदस्यगण, गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में आपके सम्मुख अभिभाषण देने का मेरे लिये यह अन्तिम अवसर है । बारह वर्षों से अधिक समय तक लोगों द्वारा निर्वाचित अध्यक्ष के रूप में देश की सेवा करने का सुयोग मुझे मिला यह मेरे लिये बड़ी खुशी और सौभाग्य की बात है । इस उच्च पद को स्वीकार करने से पहले, संसदीय जीवन और उसके कर्तव्यों का भी मुझे कुछ अनुभव रहा है । उसके लिये मेरे मन में अधिक से अधिक आदर है और संसदीय प्रणाली तथा उसकी संस्थाओं में मेरा आशापूर्ण विश्वास और गहरी आस्था है । इसमें मुझे सन्देह नहीं कि आप अपने पूर्वाधिकारियों द्वारा स्थापित उच्च परम्पराओं को बनाये रखेंगे ।

१६. यह भी सौभाग्य की बात है कि हमारी संसद के प्रति लोगों की आदर भावना है और हमारी राजनीतिक भावनाओं में इसकी जड़ें गहरी जम गई हैं । यद्यपि इसके मूल आदर्श और कार्यप्रणाली ब्रिटिश पार्लियामेंट से लिये गये हैं, हमारी संसद ने अपना सजीव व्यक्तित्व विकसित किया है और यह प्रक्रिया बराबर जारी है । हमने अपने अनुभव के आधार पर और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपनी रीतियों और कार्यविधियों की स्थापना की है ।

१७. जैसा कि मैंने अपने पिछले अभिभाषण में कहा था, मेरी सरकार का उद्देश्य और लक्ष्य अपनी नीतियों पर दृढ़तापूर्वक चलना और अपने देश में लोकतंत्रात्मक तथा समाजवादी समाज की स्थापना के लिये प्रभावपूर्ण कार्यवाही करना है । ऐसा करने से ही राष्ट्रीय उन्नति तथा

उत्पादन में वृद्धि सामाजिक न्याय का रूप ले सकती है, उन्नति की वेगवती प्रवृत्ति शान्तिपूर्ण रह सकती है और हमारा देश दृढ़ता और तेजी से आगे बढ़ सकता है ।

१८. अब मैं आपसे विदा लेता हूं और आपको अपना कार्यभार सौंपता हूं । मुझे विश्वास है कि आपके अनुभव, देशभक्तिपूर्ण उप्साह और अपने कर्तव्य के प्रति समर्पण की भावना, आपकी त्यागपूर्ण कर्तव्य-परायणता तथा दक्षता और जो जरूरी काम हमारी राह देख रहे हैं उनकी पुकार हमेशा और पूरी तरह इस कार्य को प्राप्त रहेगी ।

१९. म आपका शुभ चाहता हूं । आप सब और हमारी लोकतंत्रात्मक संस्थायें स्थायी और शक्तिशाली बनें, लोगों को जनतंत्रात्मक प्रयत्नों के लिये अधिकाधिक प्रेरित करें और शान्ति तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को उन्नत करने में सहायक हों, यही मेरी कामना है ।--

---

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

सालारजंग संग्रहालय अधिनियम १९६१ के अन्तर्गत अधिसूचना

†विधि उपमंत्री (श्री हज़रनवीस) : श्री हुमायुं कबिर की ओर से मैं सालारजंग संग्रहालय अधिनियम, १९६१ की धारा २७ की उपधारा (३) के अन्तर्गत दिनांक ३० दिसम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १५३२ में प्रकाशित सालारजंग संग्रहालय १९६१ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० २/६२ ।]

कृषि उत्पादन (विकास तथा भांडागार) निगम अधिनियम १९५६ के अन्तर्गत अधिसूचना

†खाद्य उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : मैं कृषि उत्पादन (विकास तथा भांडागार) निगम अधिनियम, १९५६ की धारा ५२ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक २३ फरवरी, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी०एस० आर० २५३ में प्रकाशित कृषि उत्पाद (विकास तथा भांडागार) निगम (संशोधन) नियम, १९६२ की एक प्रति पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ३/६२)

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

†सचिव : मैं संसद की दोनों सभाओं द्वारा दूसरी लोक-सभा के सोलहवें अधिवेशन में पास किये गये और १२ मार्च, १९६२ को सभा को दी गई अन्तिम रिपोर्ट के बाद राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित सात विधेयक पटल पर रखता हूं :

(१) विनियोग विधेयक, १९६२

(२) संघ उत्पादन शुल्क (वितरण) विधेयक, १९६२

(३) विनियोग (रेलवे) विधेयक, १९६२

---

†मूल अंग्रेजी में

(४) विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९६२

(५) वित्त विधेयक, १९६२

(६) विनियोग (रेलवे) लेखानुदान विधेयक, १९६२

(७) हिन्दी साहित्य सम्मेलन विधेयक, १९६२ ।

मैं संसद् की दोनों सभाओं द्वारा दूसरी लोक-सभा के सोलहवें अधिवेशन में पास किये गये और १२ मार्च, १९६२ की सभा को दी गयी अन्तिम रिपोर्ट के बाद राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित ग्यारह विधेयकों की प्रतियां भी, राज्य सभा के सचिव द्वारा विधिवत प्रमाणित रूप में, पटल पर रखता हूं :

(१) संविधान (बारहवां संशोधन) विधेयक, १९६२

(२) गोआ, दमन और दीव (प्रशासन) विधेयक, १९६२

(३) राज्य वित्त निगम (संशोधन) विधेयक, १९६२

(४) भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक, १९६२

(५) गोदी कर्मचारी (रोजगार का विनियमन) संशौधन विधेयक, १९६२

(६) सम्पदा शुल्क (वितरण) विधेयक, १९६२

(७) अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुएं) संशोधन विधेयक, १९६२

(८) अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, १९६२

(९) टेलीग्राफ की तारें (अवैध रूप से रखना) संशोधन विधयक, १९६२

(१०) भारतीय उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक, १९६२

(११) विमान निगम (संशोधन) विधेयक, १९६२

इसके पश्चात् लोक-सभा गुरुवार, १९ अप्रैल, १९६२ के ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

बुधवार, १८ अप्रैल, १९६२
२८ चैत्र, १८८४ (शक)

विषय **पृष्ठ**

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण ३१

४ सदस्यों ने निम्नलिखित भाषाओं में शपथ ली अथवा प्रतिज्ञान किया :—

२ ने हिन्दी में

१ ने बंगला में

१ ने अंग्रेजी में

राष्ट्रपति का अभिभाषण—सभा पटल पर रखा गया ३१–३५

सचिव ने १८ अप्रैल, १९६२ को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष दिये गये राष्ट्रपति के अभिभाषण की एक प्रति सभा पटल पर रखी।

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३५

(१) सालारजंग संग्रहालय अधिनियम, १९६१ की धारा २७ की उपधारा (३) के अन्तर्गत दिनांक ३० दिसम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १५३२ में प्रकाशित सालारजंग संग्रहालय १९६१ की एक प्रति।

(२) कृषि उत्पादन (विकास तथा भांडागार) निगम अधिनियम, १९५६ की धारा ५२ की उपधारा (३) के अन्तर्गत दिनांक २३ फरवरी, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २५३ में प्रकाशित कृषि उत्पाद (विकास तथा भांडागार) निगम (संशोधन) नियम १९६२ की एक प्रति।

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ३५-३६

(१) विनियोग विधेयक, १९६२

(२) संघ उत्पादन शुल्क (वितरण) विधेयक, १९६२

(३) विनियोग (रेलवे) विधेयक, १९६२

(४) विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९६२

(५) वित्त विधेयक, १९६२

(६) विनियोग (रेलव) लेखानुदान विधेयक, १९६२

(७) हिन्दी साहित्य सम्मेलन विधेयक, १९६२

(८) संविधान (बारहवां संशोधन) विधेयक, १९६२

(९) गोआ दमन और दीव (प्रशासन) विधेयक, १९६२

विषय **पृष्ठ**

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति–(क्रमशः)

(१०) राज्य वित्त निगम (संशोधन) विधेयक, १९६२

(११) भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक, १९६२

(१२) गोदी कर्मचारी (रोजगार का विनियमन) संशोधन विधेयक, १९६२

(१३) सम्पदा शुल्क (वितरण) विधेयक, १९६२

(१४) अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुएं) संशोधन विधेयक, १९६२

(१५) अधिवक्ता (संशोधन) विधयक, १९६२

(१६) टेलीग्राफ की तारें (अवैध रूप से रखना) संशोधन विधेयक, १९६२

(१७) भारतीय उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक, १९६२

(१८) विमान निगम (संशोधन) विधेयक, १९६२

गुरुवार, १९ अप्रैल, १९६२/२९ चैत्र, १८८४ (शक) के लिये कार्यावलि

रेलवे आय-व्ययक, १९६२–६३ काउपस्थापन

GMGIPND—LS III—219 (Ai) LSD—17-5-62—125